

क्रम-संख्या-189



रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 अगस्त, 2001

श्रावण 22, 1923 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1841/सत्रह-वि-1-1 (क) 22/2001

लखनऊ, 13 अगस्त, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 2 अगस्त, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2001)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बायनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

जायगा।

1—(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा

संक्षिप्त नाम और
विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 9
सन् 1932 की
अनुसूची-एक का
प्रतिस्थापन

2—भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात्:—

“अनुसूची-एक

अधिकतम फीस

[धारा 71 की उपधारा (1) देखिए]

दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस देय है

| दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस देय है | अधिकतम फीस |
|--|---|
| 1—धारा 58 के अधीन कथन | अधिकतम फीस |
| 2—धारा 60 के अधीन कथन | पांच सौ रुपये |
| 3—धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना | एक सौ पचास रुपये |
| 4—धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना | एक सौ पचास रुपये |
| 5—धारा 63 के अधीन सूचना | एक सौ पचास रुपये |
| 6—धारा 64 के अधीन आवेदन | एक सौ पचास रुपये |
| 7—धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण | एक सौ पचास रुपये |
| 8—धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण | पचास रुपये |
| 9—फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां | पचास रुपये |
| | प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए बीस रुपये” |

उद्देश्य और कारण

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अनुसूची-एक में दी गई अधिकतम फीस वर्ष 1974 से पुनरीक्षित नहीं की गई है। अधिनियम के प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय को देखते हुए इस फीस को पुनरीक्षित करना आवश्यक समझा गया। अतएव, उक्त अनुसूची-एक को संशोधित करने की प्रस्थापना है।

तदनुसार भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 1841(2)/XVII-V-1-1 (KA) 22/2001
Dated Lucknow, August 2, 2001

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bharatiya Bhagidari (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 2, 2001.

**THE INDIAN PARTNERSHIP (UTTAR PRADESH AMENDMENT)
ACT, 2001**

(U.P. ACT No. 19 of 2001)
[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

furth^r to amend the Indian Partnership Act, 1932 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Indian Partnership (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2001. Short title and extent

(2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.

2. For Schedule-I to the Indian Partnership Act, 1932 the following Schedule shall be substituted, namely:— Substitution of Schedule-I of Act no. IX of 1932

"SCHEDULE-I

MAXIMUM FEES

[see sub-section (1) of section 71]

| Document or Act in respect of which the fee is payable | Maximum fee |
|---|--|
| 1. Statement under section 58 | Five hundred rupees |
| 2. Statement under section 60 | One hundred fifty rupees |
| 3. Intimation under section 61 | One hundred fifty rupees |
| 4. Intimation under section 62 | One hundred fifty rupees |
| 5. Notice under section 63 | One hundred fifty rupees |
| 6. Application under section 64 | One hundred fifty rupees |
| 7. Inspection of the Register of Firms under sub-section (1) of section 66 | Fifty rupees |
| 8. Inspection of documents relating to a Firm under sub-section (2) of section 66 | Fifty rupees |
| 9. Copies from the Register of Firms | Twenty rupees for each hundred words or part thereof " |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The maximum fees provided for in Schedule-I to the Indian Partnership Act, 1932 have not been revised since the year 1974. It is considered necessary to revise these fees in view of the increase in expenditure on the administration of the Act. Accordingly, it is proposed to amend the said Schedule-I.

The Indian Partnership (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.

By order,

Y.R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.